तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील/सीलिंग/7831/2006/बूँदी** **परमानन्द बनाम सरकार** **2. अपील/सीलिंग/7411/2007/बूँदी** **रामाजनकी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी श्री करण सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** प्रार्थी ने उक्त दोनों अपीलें राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 23(2) के अन्तर्गत न्यायालय अति0 कलेक्टर (सीलिंग) बूँदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-10-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान समान होने, विषय वस्तु समान होने व एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से इन दोनों प्रकरणों को एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक से दोनों प्रकरण में लगायी जावे। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बूँदी ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.1975 द्वारा कुल भूमि 210 बीघा 12 बिस्वा में से 130 बीघा 12 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण के आदेश दिये है। इसके पश्चात् राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि प्राधिकृत अधिकारी ने घोषणा पत्र के अनुसार परिवार के सात सदस्यों को गलत रूप से मान्यता दी है। जबकि भूमिधारी के परिवार में दिनांक 01.04.1966 को पांच सदस्य ही मान्य है। भूमिधारी 60 बीघा भूमि रख सकता है। शेष भूमि अधिग्रहित होने योग्य है। अतः प्राधिकृत अधिकारी बूँदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.1975 काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 3(ख) के अनुसार नहीं है। यह कहते हुये राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील/सीलिंग/7831/2006/बूँदी** **परमानन्द बनाम सरकार** **2. अपील/सीलिंग/7411/2007/बूँदी** **रामाजनकी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरण को रि–ओपन करने के आदेश दे दिये। प्रकरण रिओपन होने पर अति0 जिला कलेक्टर (सीलिंग), बूँदी के समक्ष दर्ज रजिस्टर किया गया। जिस पर अति0 जिला कलेक्टर (सीलिंग), बूँदी ने अपने निर्णय दिनांक 06.10.2006 में 65.30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त दोनों अपीलें पेश की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि भूमिधारी जानकीलाल का देहांत दिनांक 05.02.2006 को हो गया था। जानकीलाल के परिवार में कुल आठ सदस्य थे। जिनमें पांच लड़के क्रमशः परमानंद, दयानंद, अशोक कुमार, सदानंद एवं प्रेमचंद इसी प्रकार दो बहनें रामस्वरूप बाई एवं कमला बाई एवं जानकीलाल की बेवा शंकरीबाई मौजूद है। जानकी लाल के पांच लडके शादीशुदा होकर अपने परिवार के साथ अलग–अलग रहते है एवं जानकीलाल के खाते की भूमि पर हिस्से अनुसार उनके पुत्रों के नाम दर्ज है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वर्तमान में जानकीलाल के वारिसों के नाम कुल 85 बीघा कृषि भूमि है। जानकीलाल के परिवार में उसके पौत्र एवं पौत्रीयां भी मौजूद है जिनका जानकीलाल के खाते की भूमि पर जन्म से ही अधिकार निहित है। उक्तानुसार जानकीलाल के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने से इसके विरूद्ध चलाया गया सीलिंग प्रकरण विधि विरूद्ध होने से समाप्त किये जाने योग्य था। परंतु अति0 जिला कलेक्टर ने अपने विधि विरूद्ध आदेश से उसकी भूमि को अधिग्रहित करने के आदेश पारित कर दिये, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि सीलिंग	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील/सीलिंग/7831/2006/बूँदी** **परमानन्द बनाम सरकार** **2. अपील/सीलिंग/7411/2007/बूँदी** **रामाजनकी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धांत है कि भारहित भूमि ही अधिग्रहित होगी ना कि भारयुक्त भूमि। प्रस्तुत प्रकरण में परमानंद वगैरह पर सीलिंग कार्यवाही लागु नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अति0जिला कलेक्टर ने भूमिधारी के पास निर्धारित दिनांक को 105.30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि मानी है, जिसमें से 65.30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि भूमिधारी जानकीलाल के खाते में जमाबंदी संवत 2013–16 में ग्राम अडीला में 80 बीघा 3 बिस्वा भूमि है। भूमिधारी को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी घोषणा पत्र पेश नहीं किया गया। तहसीलदार के द्वारा घोषणा पत्र मंगवाया गया। जिसमें भूमिधारी जानकीलाल के पुत्र परमानंद एवं दयानंद के नाम क्रमशः 40 बीघा 17 बिस्वा एवं 89 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज होना बताया है। इस प्रकार भूमिधारी के पास कुल 210 बीघा 12 बिस्वा भूमि होना स्पष्ट होता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत घोषणापत्र के अनुसार उसके परिवार के सदस्यों की संख्या सात मान्य है। अतः भूमिधारी पांच सदस्यों के परिवार तक 30 स्टेन्डर्ड एकड़ एवं दो अतिरिक्त सदस्यों के लिये 10 स्टेन्डर्ड एकड़ इस प्रकार कुल 40 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि ही धारित कर सकता है जबकि उसके पास 105.30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि है। इस अनुसार भूमिधाारी के पास 65.30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि अधिक होने से सीलिंग सरप्लस घोषित किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि माननीय राजस्व मंडल ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह माना है कि अगर किसी परिवार के सदस्यों का जन्म	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील/सीलिंग/7831/2006/बूँदी** **परमानन्द बनाम सरकार** **2. अपील/सीलिंग/7411/2007/बूँदी** **रामाजनकी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 01.04.1966 या इसके पूर्व उस परिवार में नहीं हुआ था तो उसका लाभ सीलिंग कानून के अंतर्गत अप्रार्थी नहीं उठा सकता है। इस संबंध में 1976 आर0आर0डी0 पेज 187 उनवानी रामनारायण बनाम सरकार एवं 1976 आर0आर0डी0 पेज 366 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम नाथू में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अति0 जिला कलेक्टर (सीलिंग), बूँदी ने अपने निर्णय में सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत भूमि की गणना करने के पश्चात सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को अधिग्रहण करने के जो आदेश पारित किये है वह पूर्णतः विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। इस सीलिंग अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम अडिसा में कुल किता 5 कुल रकबा 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि व ग्राम भावपुरा में कुल किता 2 रकबा 40 बीघा 17 बिस्वा का औंकार पुत्र बाला रिकार्डेड खातेदार दर्ज था। औंकार के फौत होने पर भूमि परमानन्द के नाम पर नामांतरकरण के आधार पर दर्ज हो गयी थी। इन विवादित भूमियों के संबंध में औंकार की पत्नि किशनी एक विधिक वारिस थी। जिसने उपखण्ड अधिकारी, बूंदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसे उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 30.01.82 से स्वीकार करते हुये किशनी के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया था। परन्तु उक्त विवादित भूमियों में किशनी की खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं किया गया और ना ही किशनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। इसके	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील/सीलिंग/7831/2006/बूँदी** **परमानन्द बनाम सरकार** **2. अपील/सीलिंग/7411/2007/बूँदी** **रामाजनकी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि किशनी की मृत्यु के उपरांत उसकी पुत्री पुष्पा विधिक रूप से वारिस थी। जिसका नाम भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज चलता रहा है। परन्तु उसकी पुत्री पुष्पा को भी उक्त सीलिंग प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत है। सीलिंग कार्वाही के संबंध में विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि सीलिंग सरप्लस के रूप में भारयुक्त भूमि अधिग्रहित नहीं की जाकर भाररहित भूमि अधिग्रहित की जाती है। इस प्रकरण में अपने महत्वपूर्ण हक व अधिकार रखने वाले उक्त विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत ही इस सीलिंग प्रकरण का विधि अनुसार निर्णय किया जाना आवश्यक व न्यायोचित रूप से संभव हो सकेगा। परिणामतः यह सीलिंग अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2006 अपास्त किया जाता है। प्रकरण मूल ही न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, बूंदी को प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देश दिये जाते है कि वह संबंधित विधिक वारिसानों सहित सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, बूंदी के समक्ष दिनांक 14.03.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होवें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	